बिहार विधान-सभा सचिवालय

की

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति

कल्याण समिति

1982-83

का

सोलहवां प्रतिवेदन

बिहार स्टेट क्रेडिट एवं इन्भेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

(निगम की सेवाओं में नियुक्ति एवं प्रोन्नति के संबंध में)

बिहार विधान-सभा सचिवालय

कल्याण समिति शाखा

पटना

1983 ई०

सदन में उपस्थापित करने की तिथि.....

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रस्तावना ।	
समिति का गठन ।	
विषय उपस्थापन ।	
प्रतिवेदन	1-2
सिफारिशों का सारांश	2
परिशिष्ट	3

प्रस्तावना

बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति के सभापति की हैसियत से मैं समिति का सोलहवां प्रतिवेदन, जो बिहार स्टेट क्रेडिट एवं इन्भेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित विषय पर है, उपस्थापित करता हूं।

बिहार स्टेट क्रेडिट एन्ड इन्भेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के प्रबंध निदेशक श्री ए० के० मिश्र द्वारा नियुक्ति एवं प्रोन्नति का विवरण दिया गया जिसके अवलोकन के पश्चात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति (2) द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति (2) ने दिनांक 23 फरवरी, 1983 की बैठक में इसे स्वीकृत किया तथा मुख्य समिति ने दिनांक 25 फरवरी, 1983 की बैठक में इसे अनुमोदित किया।

विधान-सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा निगम के प्रबंध निदेशक को इस प्रतिवेदन की तैयारी में सहायता करने हेतु समिति धन्यवाद देती है।

एस० के० बागे;
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति
कल्याण समिति।

पटना,
दिनांक 25 फरवरी, 1983।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की मुख्य समिति
1982-83 का गठन।

क्रम स० सदस्य का नाम

सभापति :

1 श्री एस० के० बागे, स० वि० स०।

सदस्यगण :

2 श्री बनवारी राम, स० वि० स०,
3 श्री मुनी सिंह, स० वि० स०,
4 श्री विश्वनाथ ऋषि, स० वि० स०,
5 श्री अरुण कुमार सिंह, स० वि० स०,
6 श्री जवाहर प्रसाद सिंह, स० वि० स०,
7 श्री अवध बिहारी सिंह, स० वि० स०,
8 श्री महेश राम, स० वि० स०,
9 श्री संजीव प्रसाद टौनी, स० वि० स०,
10 श्री पीताम्बर पासवान, स० वि० स०,
11 श्री टीकाराम मांझी, स० वि० स०,
12 श्री नवल किशोर भारती, स० वि० स०,
13 श्रीमती मुक्तिदानी सुम्बरूई, स० वि० स०; सदस्या,
14 श्री करिया मुण्डा, स० वि० स०,
15 श्री शिवनन्दन पासवान, स० वि० स०,
16 श्री रामलखन राम "रमण", स० वि० स०,
17 श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स०,
18 श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स० वि० स०;
19 श्री सूर्यदेव सिंह, स० वि० स०,
20 श्री हारू रजवार, स० वि० स०,
21 श्री जयकान्त पासवान, स० वि० स०;
22 श्री दुती पाहन, स० वि० प०,
23 श्री भाई हालेन कुजूर, स० वि० प०,
24 श्री राम प्रवेश पासवान, स० वि० प०;
25 श्रीमती स्टेनशीला हेम्ब्रम, स० वि० प०, सदस्या;
26 श्री राजकिशोर प्रसाद, स० वि० प०,
27 श्री राजदेव राम, स० वि० प०,
28 सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, स० वि० प०; सदस्या।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की
उप-समिति (2) के सदस्यगण
(1982-83)।

क्रम सं० सदस्य का नाम

संयोजक :

1 श्री अवध बिहारी सिंह, स० वि० स०।

सदस्यगण :

2 श्री अरुण कुमार सिंह, स० वि० स०,
3 श्री जवाहर प्रसाद सिंह, स० वि० स०,
4 श्री करिया मुण्डा, स० वि० स०,
5 श्री राम लषण राम "रमण", स० वि० स०,
6 श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स०,
7 श्री जयकान्त पासवान, स० वि० स०,
8 श्री मुनी सिंह, स० वि० स०,
9 श्री राम प्रवेश पासवान, स० वि० प०,
10 श्रीमती स्टेनशिला हेम्ब्रम, स० वि० प०, सदस्या।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री विमलेन्दु नारायण सिन्हा, सचिव,
2. श्री अलख निरंजन प्रसाद, संयुक्त सचिव,
3. श्री अर्जुन प्रसाद, उप-सचिव,
4. श्री शिव प्रसाद शाह, अवर सचिव,
5. श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह, प्रशासी पदाधिकारी,
6. श्री इन्दिरा रमण उपाध्याय, प्रशाखा पदाधिकारी,
7. श्री श्याम देव चौधरी, प्रभारी सहायक।

विषय का उपस्थापन

सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध ।

संवैधानिक उपबंध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) एवं 335 के आलोक में राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध किया है ।

2. संविधान द्वारा प्रदत्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग के पत्रांक 9908, दिनांक 13 नवंबर, 1953 के द्वारा 1951 की जनगणना के आधार पर जिन सेवाओं में और जिन पदों पर राज्य स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जाती है, उनमें अनुसूचित जाति के लिए 12½ प्रतिशत एवं जन-जाति के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण था । बाद में जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए 14 प्रतिशत एवं जन-जाति के लिए 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखा गया—यह आदेश 21 नवंबर, 1970 को निर्गत हुआ और उस समय से अब तक लागू है ।

3. राज्य सरकार द्वारा या उनके अधीनस्थ किसी ऐसे पदाधिकारी द्वारा, जिनकी अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण राज्य में हो, की गई सभी नियुक्तियां एवं राज्य स्तर पर की गई नियुक्तियां होती हैं ।

4. क्षेत्रीय या स्थानीय संवर्गों, स्थापनाओं और कार्यालयों की ऐसी नियुक्तियां, जिनमें राज्य स्तर के केवल क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी अधीनस्थ पदाधिकारी (जैसा प्रमंडल आयुक्त, समाहर्त्ता, आरक्षी अधीक्षक द्वारा की जाती हैं, ऐसा आरक्षण जिला स्तर के द्वारा आरक्षण की सूची में आता है। जिला स्तर का आरक्षण जातियों की जनगणना के आधार पर आरक्षित प्रतिशत निर्धारित किया गया है । अलग-अलग जिला का अलग-अलग आरक्षण प्रतिशत निश्चित किया गया है ।

5. प्रतिवेदन स्टेट क्रेडिट एण्ड इन्भेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना, बिहार सरकार की एक जन-उपक्रम संस्थान है। यहां राज्य सरकार के निदेशों का अनुपालन होता है, अर्थात् राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए सेवाओं और पदों में आरक्षण का जो निदेश दिया है उसके आधार पर ऐसी जातियों को वहां प्रतिनिधित्व मिलना है। बिहार विधान-सभा सचिवालय के पत्रांक 382, दिनांक 24 जनवरी, 1981 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में प्रतिनिधित्व के संबंध में विवरणी की मांग निदेशक से की गई। विवरणी प्राप्त नहीं होने पर पुनः सभा सचिवालय के पत्रांक 194, दिनांक 10 फरवरी, 1982 द्वारा अनुस्मार-पत्र दिया गया। सभा सचिवालय के अनुस्मार-पत्र के आलोक में बिहार स्टेट क्रेडिट एण्ड इन्भेस्टमेंट कारपोरेशन लि० के प्रबंध निदेशक श्री ए० के० मिश्र द्वारा पत्रांक 137, दिनांक 17 अप्रील, 1982 में नियुक्ति एवं प्रोन्नति की विवरणी सभा सचिवालय को भेजी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति (2) की बैठक दिनांक 15 फरवरी, 1983 में इस विवरणी पर विचार-विमर्श हुआ (परिशिष्ट-1)। बिहार राज्य क्रेडिट एण्ड इन्भेस्टमेंट कारपोरेशन के श्रेणी (1) के पदों में 17 पद स्वीकृत है, जिनमें 10 पद पर कार्यरत पदाधिकारी है, शेष 7 पद रिक्त हैं। उक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कोई सदस्य नहीं हैं। निगम द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए नियमानुसार पद आरक्षित हैं और ऐसे सदस्यों से नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है। समिति की अनुशंसा है कि श्रेणी (1) के रिक्त पदों पर निगम आरक्षण कोटा के अनुसार शीघ्र नियुक्ति करने की कार्रवाई करे।

6. श्रेणी (2) में कुल 12 पद स्वीकृत हैं जिनमें 7 पद पर पदाधिकारी कार्यरत हैं, इन 7 पदों पर कोई भी अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्य को लिखा गया है कि अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए नियमानुसार पद आरक्षित है और इस सदस्यों से नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है। समिति की अनुशंसा है कि आरक्षित पदों को उक्त जातियों के सदस्यों से भरने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाय।

7. श्रेणी (3) के कुल 47 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 33 पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं, शेष 14 पद निगम में अभी रिक्त हैं। सभी पदों पर मात्र 4 अनुसूचित जाति एवं 3 अनुसूचित जन-जाति के सदस्य हैं। निगम में श्रेणी (3) में 18 तरह के विभिन्न पद हैं। जिनमें निजी सहायक का 12 पद स्वीकृत हैं, किन्तु 6 पद पर ही लोग कार्यरत हैं और 2 अनुसूचित जन-जाति के सदस्य हैं, शेष 6 पद रिक्त हैं, लेखा सहायक का 2 पद हैं, जिनमें 1 पद पर कर्मचारी

कार्यरत हैं और वे अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। शेष 1 पद रिक्त है। आशुलिपिक के 9 पद स्वीकृत हैं जिनमें 6 पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं, शेष 3 पद रिक्त हैं, किन्तु इन पर अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्य एक भी नहीं है। टंकक-सह-लिपिक वर्ग (2) के 3 पद स्वीकृत हैं जिनमें 2 पद पर व्यक्ति कार्यरत हैं, शेष 1 पद रिक्त है और इसमें अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्य नहीं हैं, श्रेणी (3) में अध्यक्ष के आशुलिपिक का 1 पद, रोकड़पाल का 1 पद पूर्णतः रिक्त है। इस तरह निगम में श्रेणी (3) में 14 पद अभी रिक्त हैं। समिति की अनुशंसा है कि निगम में श्रेणी (3) के रिक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देकर उन रिक्तियों को भरा जाय।

8. श्रेणी (4) में कुल 19 पद स्वीकृत हैं जिनमें 18 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, शेष 1 पद अभी रिक्त है। इन पदों पर अनुसूचित जाति के 3 एवं अनुसूचित जन-जाति के 2 सदस्य कार्यरत हैं। इस प्रकार अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं हुआ है। समिति की अनुशंसा है कि रिक्त पदों को नियमानुसार अनुसूचित जाति से भरने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाय।

9. निगम द्वारा 1975 के बाद से अबतक किसी भी पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई है, इस विषय पर आरक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

10. समिति द्वारा निगम में इतने पदों को अभी तक रिक्त रखे जाने के प्रश्न पर विचार किया गया। समिति की अनुशंसा है कि निगम अपने अधीन रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई करे, क्योंकि पद रिक्त रहने से निगम के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं हो सकेगी।

समिति की सिफारिशों का सारांश

क्रम सं०	प्रतिवेदन कापारा संख्या।	
1.	(5)	समिति की अनुशंसा है कि श्रेणी (1) के रिक्त पदों पर निगम आरक्षण कोटा के अनुसार शीघ्र नियुक्ति करने की कार्रवाई करे।
2.	(6)	समिति की अनुशंसा है कि आरक्षित पदों को उक्त जातियों के सदस्यों से भरने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाय।
3.	(7)	समिति की अनुशंसा है कि निगम में श्रेणी (3) के रिक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देकर उन रिक्तियों को भरा जाय।
4.	(8)	समिति की अनुशंसा है कि रिक्त पदों को नियमानुसार अनुसूचित जाति से भरने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाय।
5.	(10)	समिति की अनुशंसा है कि निगम अपने अधीन रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई करे, क्योंकि पद रिक्त रहने से निगम के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं हो सकेगी।

विवरणी (परिशिष्ट-1)

विभाग/कार्यालय का नाम—बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि०, पटना

अनुसूचित जाति/जन-जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व संबंधी विवरणी अद्यतन स्थिति के साथ

श्रेणी का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत सं०	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन-जाति		अभ्युक्ति
			(क) संख्या	(ख) प्रतिशत	(i) संख्या	(ii) प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी 1 ..	17	10	..	..	..	..	अनुसूचित जाति/ जन-जाति के लिए नियमानुसार पद आरक्षित हैं और इन सदस्यों से नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है।
श्रेणी 2 ..	12	7	..	..	..	..	
श्रेणी 3 ..	47	33	4	..	3	..	
श्रेणी 4 ..	19	18	3	..	2	..	
स्वीपर ..	1	1	1	..	..	..	
योग ..	96	69	8	..	5	..	

वि० स० मु० (एच० ए०) 419—मोनो—600—19-3-1983—रा० च० शर्मा

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
1983